

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 29, बुधवार, शके 1947- अगस्त 20, 2025 <i>Sravana 29, Wednesday, Saka 1947- August 20, 2025</i>	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

॥ कार्यालय पुलिस उपायुक्त यातायात जयपुर ॥

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 14, 2025

संख्या 7825-42 :-जनसुरक्षा एवं यातायात के समुचित प्रवाह एवं नियंत्रण हेतु राजस्थान मोटर व्हीकल्स नियम, 1990 के नियम 8.1 (II) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, सुमित मेहरडा, पुलिस उपायुक्त यातायात, जयपुर लोकहित में एतद्वारा जयपुर महानगर में वाहनों का उपयोग निम्न प्रकार प्रतिषिद्ध (Prohibit) एवं निर्बन्धित (Restrict) करता हूँ :-

1. जयपुर महानगर में किसी भी प्रकार के भारी एवं मध्यम श्रेणी के भार वाहन, डम्पर, मिक्सर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मय ट्रौली, माल वाहन (Goods carriage), अर्थमूवर्स एवं भारी सामग्री ढोने वाले वाहनों जिनका सकल यान भार 7500 किलोग्राम से अधिक हो, न तो प्रवेश करेंगे और नहीं चल सकेंगे।
2. जयपुर महानगर के क्षेत्र से अन्यत्र जा रहे भारी व मध्यम श्रेणी के ऐसे वाहन जिनका सकल यान भार 7500 किलोग्राम से अधिक है और जिन्हें जयपुर महानगर क्षेत्र में माल भरना या खाली करना नहीं हो, वे जयपुर महानगर में बिन्दु संख्या 3 में वर्णित मार्ग पर ही चल सकेंगे।
3. दिल्ली बाईपास वर्तमान में शहर के अन्दर है, अतः यह प्रतिबंध आमेर से दिल्ली बाईपास, ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा से टनल, गोनेर तिराहा आगरा रोड व अजमेर रोड की तरफ से 200 फीट चौराहा, एक्सप्रेस हाईवे बाईपास रोड न0 14 तक आने-जाने वाले मार्गों पर लागू नहीं रहेगा, लेकिन उपयुक्त बाईपास मार्ग के अलावा इनके दोनों तरफ की आवासीय कॉलोनियों में बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में वर्णित श्रेणियों के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषिद्ध होगा।

4. जयपुर शहर में निम्न स्थानों से भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा:-

- (a) दिल्ली रोड पर आमेर तिराहा से आमेर कस्बे की ओर।
- (b) धोबी घाट सर्किल से रामगढ मोड की ओर।
- (c) गलता गेट से रामगंज की ओर।
- (d) ट्रांसपोर्ट नगर से गुरुद्वारा मोड की ओर व ट्रांसपोर्ट नगर से घाट की गुणी की तरफ।
- (e) रोटरी सर्किल से जवाहर नगर की ओर।
- (f) गोनेर तिराहा से खो नागोरियान की ओर।
- (g) टोंक रोड पर बीलवा बस स्टेण्ड से चोखी ढाणी की ओर।
- (h) 07 नम्बर बस स्टेण्ड से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की ओर।
- (i) हनुमान तिराहा से नन्दपुरी मोड की ओर।

- (j) अपेक्स सर्किल से केलगिरी अस्पताल की ओर व अपेक्स सर्किल से झालाना रोड की तरफ।
- (k) प्रधान वाटिका से किसान धर्म कांटा की ओर।
- (l) प्रधान वाटिका से बी-2 बाईपास की ओर।
- (m) बदरवास तिराहा से किसान धर्म कांटा की ओर।
- (n) 200 फीट चौराहा अजमेर रोड से डीसीएम की ओर।
- (o) सीकर रोड पर रोड नंबर 12 से मुरलीपुरा की ओर।
- (p) एक्सप्रेस हाईवे के नीचे दोनों ओर आवासीय क्षेत्रों में ओवर ब्रिजों से शहर की ओर।

5. 200 फीट चौराहे से लेकर बदारना पुलिया तक दोनों तरफ की सर्विस रोड पर एक तरफा यातायात संचालित होगा। 200 फिट चौराहे से लेकर बदारना पुलिया तक समय रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक तथा दिन में 12:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक के अलावा दोनों तरफ की सर्विस रोड पर क्र.सं. 01 में वर्णित श्रेणी के वाहनों का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा।

6. भांकरोटा चौराहा से 200 फिट चौराहा तक अजमेर से जयपुर की दिशा में आने वाले सर्विस रोड पर 7500 किलोग्राम से अधिक सकल यान भार के वाहन समय 11:00 पी.एम. से प्रातः 05:00 ए.एम. तक ही चल सकेंगे।

7. भारी व मध्यम श्रेणी के भार वाहन जयपुर महानगर में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक प्रवेश/निकास कर सकेंगे तथा निषिद्ध अवधि के दौरान वाहन को महानगर के अन्दर मुख्य सड़को तथा सर्विस सड़कों पर खड़ा/पार्क करना पूर्णतया निषिद्ध होगा।

8. जयपुर महानगर की सीमा में किसी भी प्रकार के भारी, मध्यम श्रेणी के भार वाहन तथा समस्त प्रकार के सवारी वाहन इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट स्थानों के अलावा मुख्य सड़को तथा सर्विस सड़कों पर खड़ा/पार्क नहीं किये जाएंगे।

परन्तु उक्त प्रतिबंधों में निम्नलिखित वाहनों को छूट रहेगी :-

1. सेना, पुलिस, राज्य सरकार व भारत सरकार तथा इनके उपक्रम (भण्डार व्यवस्था निगम, भारतीय खाद्य निगम के वाहन, स्कूल बस, पर्यटन सम्बन्धी वाहन/बसें एवं जनसम्पर्क/चिकित्सा विभाग के वाहन तथा ऑक्सीजन वगैराह व इमरजेंसी सर्विस के वाहनों को पूर्ण छूट होगी।
2. ज्वलनशील पदार्थों को लाने ले जाने के लिए प्रयुक्त वाहनों (पेट्रोलियम पदार्थों यथा-डीजल, पेट्रोल, केरोसीन तेल व कुकिंग गैस वाले वाहन) को केवल 11:00 पीएम से 07:00 एएम तक की छूट होगी।
3. फल, सब्जी के मीडियम श्रेणी के वाहनों को रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे के बीच नवीन मण्डी प्रांगण टर्मिनल मार्केट, मुहाना (सांगानेर) जाने के लिए सांगानेर क्षेत्र, मानसरोवर क्षेत्र, अजमेर रोड व सूरजपोल मण्डी दिल्ली रोड से आवागमन की छूट होगी।
4. जयपुर नगर के विभिन्न स्थानों से प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के परमिट के आधार पर चलने वाली निजी/रोडवेज यात्री बसें निर्धारित रूटों पर चलेंगी।
5. लोकहित में पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमत किये गये वाहन एवं पेय जल सप्लाई हेतु प्रयुक्त पानी के टैंकर उक्त प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे।

6. यह अधिसूचना इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना जयपुर, सितम्बर 20, 2019 के अतिक्रमण में जारी की जाती है।

यह अधिसूचना राज-पत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

सुमित मेहरडा,
भा.पु.से.
पुलिस उपायुक्त,
यातायात जयपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।